

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(सचल दल-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 19 जून, 2017

विषय:-

महोदय,

अपर मुख्य सचिव वाणिज्यकर उ0प्र0 एवं कमिश्नर वाणिज्यकर उ0प्र0 द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग में करापवंचन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रत्येक माह एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) यथासम्भव 10 दिन तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) यथासम्भव 15 दिन स्वयं वाहन चेकिंग करते हुए करापवंचित माल के वाहनों को पकड़कर कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उपर्युक्त दिए गए निर्देश के अनुपालन में माह जून 2017 में दिनांक 16-06-2017 तक की गई वाहनों की चेकिंग / अग्रिम कार्यवाही का विवरण निम्नवत् प्रारूप में सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 20-06-2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

	निर्देशन में की गई रोड चेकिंग के दिनों की संख्या	जांच में दोषी पाए गए वाहनों की संख्या	अभिग्रहीत माल का मूल्य (लाख रु में)	जमा कराई गई जमानत (लाख रु में)
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)				
ज्वाइण्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) (एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) के साथ की गई जांच को छोड़कर)				
जोन का योग				

भवदीय,

(प्रिन्सिपल)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2,
प्रभार-ज्वाइण्ट कमिश्नर(स0द0)वाणिज्यकर,
मुख्यालय, लखनऊ।